

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 29/13

संस्थापन दिनांक:-02/02/13

फाईलिंग नं. 233504001212013

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रु द्ध

सूरज पिता छन्नू कोरकू
उम्र 25 वर्ष, निवासी नीमझिरी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

-(नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 05.05.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 02.03.2013 को 11:30 बजे या उसके लगभग ग्राम नीमझिरी चौरहा थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 11 इंच चौड़ाई 1½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि प्रकरण में विवेचक साक्षी टी.आर. धुर्वे की फौत हो जाने के कारण विवेचना कार्यवाहियों के संबंध में हमराह आरक्षक संतोष को परीक्षित कराया गया है।

3 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 24.10.2013 को उप निरीक्षक टी.आर. धुर्वे को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आर.के. ढाबा के सामने मेन रोड बोड़खी में एक व्यक्ति हाथ में लोहे की छुरी लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में एक लोहे की धारदार छुरी लिये मिला जिस हमराह स्टाफ एवं गवाह की मदद

से घेराबंदी कर पकड़ा। अभियुक्त से छुरी रखने के संबंध में कागजात पूछने पर कागजात नहीं होना बताये जाने पर अभियुक्त से एक लोहे की धारदार छुरी जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 387/13 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्र-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.03.2013 को 11:30 बजे या उसके लगभग ग्राम नीमझिरी चौरहा थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 11 इंच चौड़ाई 1½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

6 संतोष (अ.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि घटना के समय वह थाना आमला में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। तभी कस्बा भ्रमण के दौरान उप निरीक्षक टीआर धुर्वे को सूचना मिली थी कि नीमझिरी चौराहे पर एक व्यक्ति लोहे की छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर वे नीमझिरी चौराहे पर पहुंचे तो देखा कि एक व्यक्ति हाथ में एक लोहे की छुरी लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा था जिसे उन्होंने घेराबंदी कर उसे पकड़ा था। मौके पर टीआर धुर्वे ने अभियुक्त से नाम पूछा तो उसने अपना नाम सूरज कोरकू बताया था। मौके पर ही अभियुक्त से छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक टीआर साहू द्वारा बनाये गये थे।

7 रामदीन (अ.सा.-1) एवं राहुल (अ.सा.-2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षीगण ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके

कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

8 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी रामदीन (अ.सा.-1) एवं राहुल (अ.सा.-2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर पुलिस साक्षी संतोष (अ.सा.-3) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत **नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ऐ. आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

9 प्रकरण में संतोष (अ.सा.-3) ने सूचना मिलने के उपरांत उप निरीक्षक टी.आर. धुर्वे के साथ मौके पर जाना तथा अभियुक्त से लोहे की छुरी उसके समक्ष जप्त एवं गिरफ्तार करना बताया है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के उपरांत तैयार किये गये होंगे। साथ ही जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) में जप्ती का समय 11:30 बजे लेख है तथा गिरफ्तारी पत्रक में गिरफ्तारी का समय 11:40 बजे लेख है। मात्र दस मिनट में मौके पर जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाना असंभव नहीं परंतु अस्वाभाविक अवश्य प्रतीत होता है। साक्षी संतोष जो कि विवेचक टी.आर. धुर्वे का हमराह स्टाफ था। उपर्युक्त साक्षी के कथनों से अभियुक्त से मौके पर छुरी जप्त कर सीलबंद की गयी हो एवं जप्तशुदा आयुध धारदार हो ऐसा प्रकट नहीं होता है। साथ ही जप्ती की कार्यवाही किसी स्वतंत्र साक्षी के कथनों से समर्थित नहीं है। अतः इन परिस्थितियों में निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकरण में जप्तशुदा आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था एवं अधिसूचना में वर्णित नाप का है।

10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 02.03.2013 को 11:30 बजे या उसके लगभग ग्राम नीमझिरी चौरहा थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 11 इंच चौड़ाई 1½ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त सूरज को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की धारदार छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

12 अभियुक्त को आज दिनांक को न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के पालन में गिरफ्तार कर पेश किया गया है और वह न्यायालय की अभिरक्षा में है। अतः अभियुक्त को रिहा किया जावे।

13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)